

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज
 अभिलेख संख्या - ६५/१६-१२

Conty ok

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

12/5/16

श्री राजेश्वर शर्मा पिता रतन शर्मा
 ग्राम राजमुंडा अंचल देवरी जिला
 गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यारे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु
 आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री इश्वरी महतो
 पिता रवो धनश्याम महतो ग्राम राजमुंडा
 अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 5173
 दिनांक 29.11.05 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
<u>राजमुंडा</u>	<u>249</u>	<u>19</u>	<u>136</u>	<u>11.570</u>

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 8/6/16 को उपस्थापित करें।

*तकनीक अंचल अधिकारी को पंजी 27 पर 5-प्राज डाखिल खारीज जगह
 के ही जाने के बाद पूर्व के पंजी 27 पर 5-प्राज डाखिल खारीज जगह
 पर वापिस लेखपत्र निरुपादि हेतु उपस्थापित करें।*

अंचल अधिकारी,
 देवरी।

अंचल अधिकारी,
 देवरी।

3/6/16
30/5/16

अमिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या I के पृष्ठ संख्या 02 पर विकेता वसु के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरांत से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति कालेश्वर रागा पिता/प्रति राम राता ग्राम रवजगुडा के नाम ... कालेश्वर रागा किया जाता है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकवा	माल
रवजगुडा	249	136	11.50	10 फेस

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

Handwritten signature and notes on the right margin.